(89)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 411–पीबीआर/16 विरूद्ध राजस्व निरीक्षक के स्थल पंचनामा दिनांक 19–12–15 एवं तहसीलदार हुजूर भोपाल द्वारा के आदेशिका दिनांक 21–12–15 प्रकरण कमांक 74/बी–121/2015–16.

1– ओमप्रकाश आत्मज स्व. हेमराज
2– रामेश्वर आत्मज स्व. हेमराज
निवासीगण ग्राम पोस्ट टीलाखेड़ी
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजपाल वर्मा आत्मज अमर सिंह वर्मा
निवासी ग्राम टीलाखेड़ी
तहसील हुजूर जिला भोपाल
2– मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री यशवन्त साहू, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.एल. पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के स्थल पंचनामा दिनांक 19–12–15 एवं तहसीलदार हुजूर भोपाल के आदेशिका दिनांक 21–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन 181 में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 0.340 हेक्टेयर पर आवदेक ओमप्रकाश द्वारा अतिकमण कर रास्ता अवरूद्ध करने बावत् शिकायत की गई, जिसकी जांच दिनांक 19–12–15 को राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा किया जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल को प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 74/बी–121/2015–16 पंजीबद्ध कर दिनांक 21–12–15 को इस आशय की आदेशिका

लिखी गई कि प्रकरण दर्ज हो । हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक का रिपोर्ट प्राप्त । तहसीलदार के इसी आदेशिका के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 26–7–17 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदकगण की ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों तथा अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारो एवं अभिलेख के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को पक्ष समर्थन का युक्ति–युक्त अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि, वैधानिक प्रकिया, प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों एवं सहज न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन, परिशीलन, विवेचन, विश्लेषण किये बगैर आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 का कोई पालन नहीं किया गया है, न ही आवेदकगण को सूचना दिया गया है, और न ही इश्तहार का प्रकाशन किया गया है । स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, पंचनामा पर आवेदकगण के हस्ताक्षर भी नहीं है, अतः स्पष्ट है कि अनावेदक, आवेदकगण के भूमिस्वामी हक की भूमि को येन–केन–प्रकारेण हड़पना चाहता है ।

(4) आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर कठोर परिश्रम एवं अथक प्रयास कर कृषि योग्य बनाया गया है, जिस पर अनावेदक ग्राम के अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैधानिक रूप से नवीन सी. सी. रोड का निर्माण कराने का प्रयासरत हैं, जबकि म.प्र. शासन द्वारा आवेदकगण के मकान के सामने पूर्व में मनरेगा योजना के तहत 15 मीटर सी.सी. रोड का निर्माण किया जा चुका है ।

(5) सीमांकन कार्यवाही में खसरा नम्बर 70 में से 0.008 पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध करना दर्शाया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है । सीमांकन कार्यवाही अवैधानिक तरीके से तैयार की गई है तथा आवेदकगण की फसल को नष्ट कर नवीन सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने हेतु अनावेदक प्रयासरत है ।

(6) अनावेदक को उत्तराधीन सीमांकन कार्यवाही कराने का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं था क्योंकि उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व होने के सम्बन्ध में कोई विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, और यदि आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो शासन द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया जाना चाहिए था ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसकी विधिवत सूचना सभी पड़ोसी कृषकों को जारी किया गया था ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण तथा पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि के सीमाओं से अवगत कराया गया तथा चूना डालकर एवं खुटियां गाड़कर सीमांकन किया गया है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाकर फील्डबुक, नक्शा एवं पंचनामा तैयार किया गया था, जिसमें सभी ने अपने हस्ताक्षर किये थे, फील्डबुक में खसरा नम्बर 70 पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया था, जिसे उन्हें हटाने का निर्देश भी राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को दिया गया था, इसके बावजूद भी आवेदकगण ने अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया एवं झूठे तथा मनगढंत तथ्यों के आधार पर विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अभी केवल प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, तहसील न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही की जाकर प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे तहसील न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । अतः तहसील न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक के स्थल पंचनामा दिनांक 19–12–15 एवं तहसीलदार हुजूर भोपाल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–15 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर